प्रेस नोट

दिनांक 09.10.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा महिला कि अपहरण कर हत्या करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जरिया व एस0ओ0जी0 टीम के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 09.10.2024 को थाना जरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2024 धारा 140(1)/109/352/351(2)/351(3)/103(1)/3(5) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित पर्याप्त साक्ष्यों व विवेचना के क्रम में प्रकाश मे आए वांछित अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रामसजीवन यादव निवासी खलीलपुर बाराजोर थाना अकबरपुर कानपुर देहात (उम्र करीब 46 वर्ष) 2.जगमोहन उर्फ कल्लू पुत्र रामसिंह यादव निवासी महकापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात (उम्र करीब 53 वर्ष) को गोहाण्ड तिराहा बहद कस्बा गोहाण्ड से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 22.09.2024 को वादी सूरज सिंह पुत्र छोटेलाल यादव निवासी मदारीपुर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर उपस्थित थाना आकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया था कि वादी गुजैनी प्लाट 3B थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर मे सपरिवार रहता है तथा वादी के कमरे के बगल मे बतौर किरायेदार के रूप मे त्रिभुवन रहते है। दिनांक 21.09.2024 को त्रिभुवन के कहने पर वादी परिवार सहित, बीर सिंह व त्रिभुवन के साथ किराए की गाडीं से चालक सहित चित्रकूट जा रहे थे। गाडी को चालक चला रहा था गाडी चलने पर वादी को त्रिभुवन व बीर सिंह की नियत पर शक हुआ। गाडी को चालक ने रास्ते में रोककर अपने फूफा को भी बैठा लिया था। चालक के फूफा के द्वारा वादी के गले मे गमछे का फंदा डालकर जान से मारने की नियत से गमछा कस दिया गया, वादी अचानक से गाडी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया था। वादी के बेटे को भी थाना जरिया क्षेत्र छोड़कर चले गए थे।

वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 242/2024 धारा 140(1)/109/352/351(2)/351(3) बी0एन0एस0 बनाम उपरोक्त सभी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया था। चालक की निशादेही पर महिला के शव को कब्जे में लेकर थाना पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया था। घटना में प्रयुक्त वाहन को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा चालक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज जा चुका है। पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के द्वारा घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम बताया गया कि वादी मुकदमा का सगा बहनोई धर्मेन्द्र सिंह जो अपनी बहन (मृतका मीनू उर्फ अमन) की हत्या करवाना चाह रहा था इसके पीछे साजिश का मुख्य कारण यह था कि वादी की बहन विमला का विवाह धर्मेन्द्र के साथ 2007 मे हुआ था तभी से वादी का आना जाना धर्मेन्द्र के परिवार मे हो गया। धर्मेन्द्र की छोटी बहन मीनू उर्फ अमन यादव से सम्पर्क हुआ और आपसी मेल जोल बढते बढते प्रेम के रूप मे तब्दील हो गया उस समय तक मीनू का विवाह लल्लू सिंह निवासी कथरी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात के साथ वर्ष 2002 मे हुआ था।

मृतका मीनू उर्फ अमन के पति जालौन मे सपरिवार रहते थे और आपसी प्रेस प्रसंग का परिणाम यह निकला कि वादी और मीनू दोनो उरई से गुजरात चले गये और अपने परिवारो से छिप कर अपना जीवन यापन करने लगे। इस घटना क्रम से मृतका का भाई धर्मेन्द्र और उसके परिवार वाले काफी क्षुब्ध थे जहां धर्मेन्द्र स्वंय सूरज का बहनोई था वंहा अब सूरज धर्मेद्र का बहनोई बन चुका था। जिस कारण धर्मेन्द्र ने मीनू उर्फ अमन की हत्या करने के लिए साजिश रची, साजिश के तहत इसी बीच इनकी मुलाकात चतुर सिंह से हुई चतुर सिंह और बीर सिंह ने हत्या कारित करने के लिए दस लाख रूपये बतौर सुपारी धर्मेन्द्र से तय किया और घटना के अंजाम के लिए वादी के साथ किराये दार के रूप मे चतुर सिंह रहने लगा और भरोसा दिलाने के लिए एक बार सूरज के परिवार को चित्रकूट दर्शन भी करा लाया। पूर्ण भरोसा जीत लेने पर धर्मेन्द्र से किये गये वादे के क्रम मे घटना को अंजाम देने के लिए दिनांक 21.09.2024 को वीर सिंह के माध्यम से एक अर्टिगा कार की गयी जिसमे चतुर सिंह ,वीरसिंह को अपना साढू बताकर दर्शन करने के लिए निकल गया और आगे चलकर जोल्हूपुर मोड के पास अपने रिश्ते मे फूफा कल्लू उर्फ जगमोहन को बिठाया और बताया कि मेरे फूफा भी दर्शन करने के लिए चित्रकूट चलेंगे और प्लानिंग के तहत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से राठ के लिए गाडी घूम गयी जैसा कि वादी को पूर्व से शंका हुई लेकिन एक पारिवारिक हैसियत के नाते चतुर पर भरोसा कर आगे बढते रहे राठ क्रास करते ही चतुर सिंह और कल्लू उर्फ जगमोहन ने वादी व मृतका मीनू उर्फ अमन के गले मे गमछा डालकर कस दिया और सूरज अपने को बचाते हुये गाडी से कूद गया इसी बीच अभियुक्तो द्वारा मीनू की हत्या गले मे बेल्ट फंसा कर दी गयी और सूरज के पुत्र शिव उर्फ रामजी के गले मे फंदा लगाकर मरा समझकर फेंक दिया और कुछ दूर पर अमन उर्फ मीनू को भी फेंक दिया।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसजीवन यादव निवासी खलीलपुर बाराजोर थाना अकबरपुर कानपुर देहात (उम्र करीब 46 वर्ष)
2.जगमोहन उर्फ कल्लू पुत्र रामसिंह यादव निवासी महकापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात (उम्र करीब 53 वर्ष)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.प्र0नि0 भरत कुमार थाना जरिया
2.हे0का0 शिवेन्द्र सिंह थाना जरिया
3.का0 कपिल कुमार थाना जरिया
4.का0 बृजेश कुमार थाना जरिया
5.उ0नि0 सचिन शर्मा (प्रभारी एसओजी)
6. का0 उमाशंकर शुक्ल एसओजी
7.का0 अतुल कुमार एसओजी
8.का0 शक्ति सिंह एसओजी
9.का0 सुरेन्द्र मिश्रा एसओजी
10.का0 अतुल कुमार (सर्विलांस सेल)